

राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला मार्ग, नई दिल्ली-110002

मि.सं.22/रा.बा.भ./सिक्थोरिटी/नीलामी/2023/1421

दिनांक : 04.12.2024

नीलामी नोटिस

राष्ट्रीय बाल भवन में दिनांक 13.12.2024 को प्रातः 11.00 बजे अनुपयोगी/कंडम सामान के ढेर की जैसा है जहां है के आधार पर जन नीलामी की जायेगी। नीलामी की शर्तें व प्रतिबंध निम्नलिखित हैं:-

(1). नीलाम किये जाने वाले अनुपयोगी/कंडम सामान का निरीक्षण दिनांक 12.12.2024 को दोपहर 02.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक किया जा सकता है।

(2). नीलामी का समय : दिनांक 13.12.2024 को नीलामी प्रातः 11.00 बजे शुरू होगी जिसे लिए प्रातः 09.00 से प्रातः 10.30 बजे तक ही बोलीदाओं को रा.बा.भ. के गेट से प्रवेश दिया जायेगा। इसके बाद आने वाले बोलीदाओं को प्रवेश नहीं किया जायेगा।

(3). नीलामी के दिन राष्ट्रीय बाल भवन आने वाले सभी इच्छुक बोलीदाता यह विशेष रूप से ध्यान रखें कि नीलामी में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय बाल भवन के गेट से केवल उन्हीं बोलीदाताओं को प्रवेश दिया जायेगा जो केवल अपने नाम से रु.10,000/- की सिक्थोरिटी डिपॉजिट राशि जमा करेंगे और स्वयं बोली बोलेंगे। इसके अतिरिक्त बोलीदाताओं के साथ आने वाले अन्य व्यक्तियों को प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा। सिक्थोरिटी डिपॉजिट राशि जमा कराते समय बोलीदाता को अपनी पहचान के प्रमाणस्वरूप अपने आधार कार्ड/वोटर आई कार्ड/डाईविंग लाईसेंस/भारतीय पासपोर्ट मूल रूप में स्वयं हस्ताक्षरित फोटोकॉपी के साथ गेट पर सिक्थोरिटी डिपॉजिट राशि प्राप्त करने वाले रा.बा.भ. के कर्मचारी/अधिकारी को देना होगा।


(4). नीलामी शुरू होने से पहले, सभी बोलीदाताओं को रु.10,000/- (रुपये दस हजार केवल) की सिक्थोरिटी डिपॉजिट राशि जमा करानी होगी। बोलीदाताओं को अपनी पहचान का प्रमाण (आधार, वोटर आई कार्ड, डाईविंग लाईसेंस इत्यादि वैद्य प्रमाण) साथ लाना होगा। असफल बोलीदाताओं सिक्थोरिटी डिपॉजिट राशि नीलामी फाईनल नीलामी के तुरंत बाद वापस दे दी जायेगी। उच्चतम/सर्वोच्च (Highest-1) के सफल बोलीदाता को रु.10,000/- की सिक्थोरिटी डिपॉजिट राशि नीलामी फाईनल होने के बाद उच्चतम नीलामी राशि का पूरा भुगतान करने और राष्ट्रीय बाल भवन का परिसर पूरी तरह साफ व सामान रहित होने पर वापस की जायेगी अन्यथा रु.5000/- (रुपये पांच हजार केवल) प्रति दिन का जुर्माना उच्चतम बोलीदाता पर लगाया जायेगा जो सर्वोच्च बोलीदाता की सिक्थोरिटी डिपॉजिट में से काटा जायेगा।

(5). सफल व उच्चतम बोलीदाता को उच्चतम/सर्वोच्च (Highest-1) बोली की 25 प्रतिशत राशि का भुगतान तुरन्त नीलामी समाप्त होने के बाद ऑन द स्पॉट करना होगा और शेष 75 प्रतिशत की पूरी राशि का भुगतान दिनांक 14.12.2024 को दोपहर 01.00 बजे तक करना होगा अन्यथा सिक्वोरिटी डिपॉजिट की 25 प्रतिशत राशि जब्त कर ली जायेगी।

(6). राष्ट्रीय बाल भवन के परिसर से नीलाम हुये सामान को उच्चतम/सर्वोच्च (Highest-1) नीलामी राशि के पूरे भुगतान के दिनांक 14.12.2024 को दोपहर 01.00 बजे तक भुगतान के बाद उसी दिन स्वयं हटाना होगा अन्यथा रु.5000/-(रुपये पांच हजार केवल) प्रति दिन का जुर्माना उच्चतम बोलीदाता पर लगाया जायेगा। सर्वोच्च बोलीदाता को सामान हटाने के लिए लेबर व सामान ले जाने के लिए वाहन का प्रबन्ध स्वयं करना होगा।

(7). निदेशक, राष्ट्रीय बाल भवन के पास किसी एक या सभी बोलियों को बिना किसी कारण बताये रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

यह नोटिस सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है


(मुकेश गुप्ता)
उप निदेशक(प्रशासन)

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. रा.बा.भ.की बेबसाईट, नोटिस बोर्ड एवं मुख्य द्वार
2. सभी कमेटी सदस्य